

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार

(बिहार सरकार का उपक्रम)
पाँचवां तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड
शास्त्री नगर, पटना - 800023

सं०सं०:-PMAA/PCRN/ $\frac{CHAKMILKI}{BYPASS}$ / $\frac{Block-A(B+G+06) Block B,C,D \& E(B+G+08)}{Block-F(EWS/LIG(B+G+08))}$ /22/2021 — 681 पटना, दिनांक-01.10.2022

प्रेषक,

प्रभारी निदेशक,
पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार,
बिहार पटना।

सेवा में,

श्री मुकेश कुमार,
निदेशक—उम्मीद बिल्डर एण्ड कंस्ट्रक्टर प्रा० लि०,
पिता—श्री यदुनन्दन शर्मा,
कार्यालय पता—मकान सं०—136, वार्ड सं०—18,
सिंघारत, सोहसराय,
जिला—नालंदा (बिहार) पिन—803118

विषय:- प्लान केस संख्या:-PMAA/PCRN/ $\frac{CHAKMILKI}{BYPASS}$ / $\frac{Block-A(B+G+06) Block B,C,D \& E(B+G+08)}{Block-F(EWS/LIG(B+G+08))}$ /22/2021 की स्वीकृति के संबंध में।


महाशय,

आपके आवेदन सं०:- PMAA/PCRN/ $\frac{CHAKMILKI}{BYPASS}$ / $\frac{Block-A(B+G+06) Block B,C,D \& E(B+G+08)}{Block-F(EWS/LIG(B+G+08))}$ /22/2021 दिनांक-27.03.2021 के संदर्भ में श्री मुकेश कुमार, निदेशक—उम्मीद बिल्डर एण्ड कंस्ट्रक्टर प्रा० लि०, पिता—श्री यदुनन्दन शर्मा, कार्यालय पता मकान सं०—136, वार्ड सं०—18, सिंघारत, सोहसराय, जिला—नालंदा (बिहार) पिन—803118 जिला—पटना, बिहार के भवन निर्माण के लिए पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार/आयोजना स्कीम/पटना मास्टर प्लान-2031 के आलोक में मौजा—रानीपुर मिल्की, सर्वे थाना—पटना सिटी, थाना सं०—20, सर्वे प्लॉट सं०—213(अंश), खाता सं०—39, तौजी सं०—261, Block-A (B+G+06), Block B,C,D & E (B+G+08), Block-F (EWS/LIG)-(B+G+08) भूखंड का उपयोग आवासीय जोन है। आवासीय जोन में (Convenience Shop) निर्माण करने का प्रावधान है। आवासीय—सह व्यावसायिक भवन (B+G+08) दिनांक—30.09.2022 को स्वीकृतार्थ नक्शा के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्वहनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

1. भूमि/भवन का उपयोग अन्य रूप से आवासीय—सह व्यावसायिक भवन प्रयोजन, के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।
2. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।
3. अनुमोदन योजना में दर्शाया गया 7094.45 वर्गमीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा। बेसमेंट में Ventilation हेतु समुचित व्यवस्था बिहार भवन उपविधि के आलोक में प्रावधान करना होगा।
4. प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

5. भूखण्ड के पूरब में 12.32मी० से 12.27मी० चौड़ी वर्तमान सड़क अवस्थित है। आवेदित भूखंड से 30.50मी० पटना महायोजना सड़क से प्रभावित रकवा-206.91 वर्गमीटर आवेदक द्वारा छोड़कर ही चाहरदिवारी का निर्माण करना होगा।
6. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।
7. इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो के अधिकार हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।
8. योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।
9. भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेदारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
10. निर्माणकर्ता को प्राधिकार के विनिर्देशों के अनुसार मल जल, निकास सड़क, एवं अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास बिहार भवन उपविधि-2014 में प्रावधानित उपविधि 8(5) के आलोक में करना होगा।
11. बिहार भू-सम्पदा (विनियामक और विकास) नियमावली-2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।
12. श्रम सेस के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग/श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों का अनुपालन निर्माणकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
13. समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत आदेशों एवं नीतियों का विस्तृत रूप में पालन करना अनिवार्य होगा।
14. स्थल पर Rainwater Harvesting का प्रावधान निश्चित रूप से करना होगा।
15. बिहार भवन उपविधि-2014, एवं संशोधित (2022) तथा पटना मास्टर प्लान-2031 के साथ DCR में प्रावधानित के अनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न कराना होगा।
16. बिहार भवन उपविधि-2014, एवं संशोधित भवन उपविधि (2022) तथा पटना मास्टर प्लान-2031 के आलोक में स्वीकृत नक्शा में प्रावधानित ग्रीन एरिया एवं अन्य प्रावधानों का प्रावधान किया जाए।
17. बिहार भवन उपविधि-2014 (संशोधित उपविधि-2022) के अनुसार नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से बिल्डर रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

विश्वासभाजन


प्रभारी निदेशक, 01/10/2024

पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार।